नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये

2016/00047

(33)

गोधनसिंह / सोवरनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14.7.2017	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुख्यालय सैपऊ पर पेश हुई । वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 1.6.2017 को प्रारंभिक डिक्री कर तहसीलदार सैपऊ से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे । इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का रजौराखुर्द द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 807/602, 809/614, 396, 781/426, 783/427 में से अन्य व्यक्तियों को तीन पृथक-पृथक वयनामाओं से वर्ष 2005 में भूमि का बेचान किया गया है । जिसके नामा0 संख्या 29 निर्णय दिनांक 4.8.2005, 31 निर्णय दिनांक 2.9.2005 एवं 34 निर्णय दिनांक 3.9.2005 खोले जा चुके है लेकिन नामा0 का रोटेशन जमाबन्दी बनाते समय अमल नहीं हुआ था । वर्तमान में क्रेताओं के नाम रिकार्ड पर नामा0 संख्या 178 निर्णय दिनांक 1.6.2016 द्वारा दुरुस्ती से दर्ज किये जा चुके है । जिन्हें इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है । रिपोर्ट के साथ फोटो प्रति नामा0 संख्या 29, 31 व 34 संलग्न कर प्रस्तुत किये है । हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं नामान्तकरणों की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया । नामा0 संख्या 29 में खसरा नम्बर 602/2, 614/2 पर वयनामा के आधार पर महादेवी पत्नी लाखनसिंह, राजोदेवी पत्नी रामप्रकाश, गुडडीदेवी पत्नी कैलाशी कौम काछी हिस्सा बराबर दर्ज है । नामा0 संख्या 31 में खसरा नम्बर 396 पर वयनामा के आधार पर कमलादेवी पत्नी थानसिंह, गंगादेवी पत्नी हुकमसिंह, सन्तोदेवी पत्नी कमलसिंह, राजोदेवी पत्नी रामनिवास, श्रीमती पत्नी बसंतसिंह, विमलेश पत्नी पोहपसिंह कौम काछी हिस्सा बराबर नगला धारकी का नाम दर्ज है । नामा0 संख्या 34 में खसरा नम्बर 426/2, 427/2 पर कमलादेवी पत्नी थानसिंह हिस्सा 7/31 करौम काछी नगला धारकी का नाम दर्ज । लेकिन नामा0 का रोटेशन जमाबन्दी बनाते सपय नहीं होने से रिकार्ड पर नाम दर्ज नहीं हुआ है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अब उनका नामा0 संख्या 178 दिनांक 1.6.2016 को रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है । वादी द्वारा अपने दावा में विवादित आराजी के उपरोक्त क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया है तथा सही तथ्य को छुपाकर दावा प्रस्तु किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है । अतः विवादित आराजी के सभी हितवद्व पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण दावा वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । [signature] **उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ** **(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)** **ग्राम पंचायत ....**	